झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची।

प्रेस विज्ञाप्ति

1. झारखण्ड न्यायिक सेवा **'सिविल जज (जुनियर डिवीजन)'** के लिए कुल 116(सामान्य–58, अजा0–12, अ0ज0जा0–30, पि0व0(।)–09, पि0व0(।।)–07) पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या–04/2013 के आलोक में इच्छुक एवं योग्यताधारी उम्मीदवारों से निर्धारित विहित प्रपत्र में **दिनांक 06.01.2014** को संध्या **05.00 बजे** तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
2. **योग्यता**– आवेदकों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से विधि में स्नातक उत्तीर्ण एवं अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत निबंधित होना अनिवार्य है।
3. **आयु सीमा**– उम्मीदवारों की आयु दिनांक – 31.01.2013 को 22 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष से कम हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में तीन वर्ष की छूट होगी।
4. **परीक्षा शुल्क**– सामान्य वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–। एवं पिछड़ा वर्ग–।। के लिए 500+50/– बैंक चार्ज कुल 550/–रू0 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 250+50/–रू0 बैंकचार्ज कुल 300/–रू0 चालान के माध्यम से स्टेट बैक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा पर जमा किया जा सकता है।
5. आवेदन पत्र का प्रपत्र एवं चालान आयोग के वेबसाइट **"www.jpsc.gov.in"** से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जायेगा। चालान की एक प्रति **"JPSC's Copy"** आवेदन पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है।
6. आवेदन पत्र **निबंधित डाक** द्वारा **'परीक्षा नियंत्रक' झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची–834001** के पते पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफा के ऊपर बड़े एवं स्पष्ट अक्षरों में **"Civil Judge (Junior Division) हेतु आवेदन पत्र"** अवश्य लिखें।
7. आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, आवेदन पत्र के साथ झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र–। एवं प्रपत्र–।। में निर्गत जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। (जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र –। एवं ।। आयोग के वेबसाइट पर 11.12.2013 से उपलब्ध रहेगा)

झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 04/2013 आयोग के वेबसाइट पर दिनांक– 11.12.2013 से उपलब्ध रहेगा, जिसमें विस्तृत जानकारी एवं निर्देश दिया गया है। कृपया विज्ञापन संख्या– 04/2013 आयोग के वेबसाइट **"www.jpsc.gov.in"** से डाउनलोड कर उसका भलीभांति अध्ययन कर ही निदेशानुसार आवेदन पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करें।

9/12/13
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची–834001

आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि–06.01.2014	**विज्ञापन**	विज्ञापन संख्या–04 / 2013

कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के **पत्रांक–4118, दिनांक–13 / 05 / 2013** द्वारा अधियाचित एवं संसूचित रिक्तियों के अनुरूप झारखण्ड न्यायिक सेवा **"सिविल जज (जूनियर डिविजन)" Civil Judge (Junior Division)** के 116 पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं अर्हत्ताधारी उम्मीदवारों से आयोग द्वारा निर्धारित / विहित प्रपत्र में निम्न रुपेण आवेदन–पत्र आमंत्रित किया जाता है:–

पद का नाम

1. (a) **सिविल जज (जुनियर डिविजन)**
Civil Judge (Junior Division)

(b) **Details of the number of posts to be filled in by direct recruitment:**

SL. No	Category	Total Vacancies	Women reserved seats *	Sports *	Handicaped reserved		
					Low Vision **	Low Hearing **	Locomotor disability (Except Cerebral Palsy) **
1	2	3	4	5	6	7	8
a	Unreserved	58	-	-	-	-	-
b	SC	12	-	-	-	-	-
c	ST	30	-	-	-	-	-
d	BC-I	09	-	-	-	-	-
e	BC-II	07	-	-	-	-	-

* As per horizontal reservation.

** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0–11194 दिनांक 21.11.2013 के आलोक में **निःशक्तजन के लिये झारखण्ड न्यायिक सेवा में 3% क्षैतिज आरक्षण लागू रहेगा तथा उसका लाभ निम्न प्रकार की निःशक्तता से पीड़ित व्यक्ति को प्राप्त हो सकेगा–**

(i) मन्द दृष्टि (Low Visiion) 1 प्रतिशत (ii) आंशिक बधिर (Low Hearing) 1 प्रतिशत (iii) Locomotor disability (Cerebral Palsy को छोड़कर) 1 प्रतिशत का लाभ दिया जा जायेगा, **बशर्ते कि प्राधिकृत चिकित्सा पर्षद उन्हें सहायक उपकरणों एवं आधुनिक तकनीक की सहायता से इस पद का उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए योग्य घोषित करता है। आवेदको को प्राधिकृत चिकित्सा पर्षद द्वारा उक्त आशय का निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र की छाया–प्रति राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।**

(c) **वेतनमान–27,700–770–33,090–920–40,450–1,080–44,770**

(d) Dearness or other allowance payable and rate - As per Govt. Circular.

2. A) **योग्यता** (Eligibility) –

(a) Law graduate from a recognized University and enrolled as an advocate under the Adovacates, Act, 1961, and
(किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नात्तक उत्तीर्ण एवं अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत निबंधित हो)

(b) Possesses sound health, bears good moral character and is not involved in, or related to any criminal case involving moral turpitude.
(जो उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम आचरण वाले हों / किसी आपराधिक मामले में संलिप्त न हों या किसी आपराधिक मामले में नैतिक नीचता से संबंध नहीं रखते हों।)

B) **आयु सीमा** (Age) –

(a) Above the age of 22 years and below the age of 35 years as on 31.01.2013
(दिनांक–31 / 01 / 2013 को उम्मीदवार की आयु 22 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष से कम हो।)

कृ0पृ0प0

(b) Provided that in the case of female candidate, or candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe there shall be relaxation of the upper age limit by 3 years.

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में **तीन वर्ष** की छूट होगी।)

3. If the number of candidates is very large and in the opinion of the Hon'ble High Court, it is desirable to have a Preliminary Entrance Test in order to limit the candidates for the Main Examination, then a Preliminary Entrance Test shall be conducted by the Commission. The Main Examination and Viva Voce Test shall follow the Preliminary Entrance Test for making direct recruitment to the post of Civil Judges, Junior Division (Munsif).

4. Syllabus : -

   (a) "Preliminary Entrance Test" means Written Examination (Multiply Choice Questions/Objective Type) only and the candidates declared successful in this test shall be eligible for the Main Examination.

   (b) "Main Examination" means Written Examination (Subjective) and the candidates decleared successful in this Test shall be eligible for Viva-Voce Test.

   (c) "Viva-Voce Test" means an Oral Examination.

   The Syllabus for the Preliminary Entrance Test shall consist of:-

   (I) General English.
   (II) General knowledge (including Current Affairs)
   (III) The Code of Civil Procedure, 1908.
   (IV) The Code of Criminal Procedure, 1973.
   (V) The Indian Evidence Act, 1872.
   (VI) The Law of Contract, 1872.
   (VII) The Indian Penal Code, 1860.

5. The Preliminary Entrance Test shall be of 100 marks in aggregate. The marks obtained in preliminary examination shall not be counted for the purpose of final selection. There shall be no negative marking.

6. The Merit List shall be prepared as under :-

   (i) Candidates shall be arranged in seriatim as per marks obtained by them in the Recruitment Process.

   (ii) This List shall be prepared category-wise for both preliminary entrance test as well as main examination.

7. The candidates up to 15 times of the total vacancy category-wise shall be called for appearing in the Main Examination. In case of tie of marks between the candidates at the last pedestal, all the candidates obtaining such marks shall be called for appearing in the Main Examination irrespective of exceeding of number beyond 15 times of vacancies.

कृ०पृ०प०

8. Duration of Preliminary Entrance Test shall be of two hours.
9. The Main Examination shall be of four papers of 100 marks each comprising of the questions on the following subjects :-

Paper - I

(i) Procedural Law (The Code of Civil Procedure, 1908 and The Code of Criminal Procedure, 1973)
(ii) The Indian Penal Code, 1860.
(iii) The Indian Evidence Act, 1872.
(iv) The Limitation Act, 1963

Paper - II

(i) The Contract Act, 1872
(ii) The Sales of Goods Act, 1930
(iii) The Negotiable Instruments Act, 1881
(iv) The Arbitration and Conciliation Act, 1996
(v) The Transfer of Property Act, 1882

Paper - III

(i) The Hindu Law and The Mohammedan Law
(ii) Rent Control Law.
(iii) The Specific Relief Act, 1963
(iv) Jurisprudence

Paper – IV (Language)

Hindi & English (Essay, Precise writing, Translation & Paraphrase)

10. Duration of Main Examination shall be of three hours for each paper.
11. Appearing in each paper will be compulsory.
12. The candidates up to three times of total vacancy category-wise shall be called to appear in the Viva-Voce Test on the basis of marks obtained by them in the main examination. In case of tie of marks between the candidates at the last pedestal, all the candidates obtaining such marks shall be called for appearing in the Viva-Voce Test irrespective of exceeding of number beyond three times of total vacancies.
13. There shall be Viva-Voce Test of **100 marks**. In the Viva-Voce Test the minimum required qualifying marks would be 25% for the General category candidates and 20% for SC/ST/EBC & BC.
14. No candidate, irrespective of the marks obtained by him in the Main Examination, shall be eligible for selection for appointment, if he obtains less than minimum pre scribed marks in the Viva-Voce Test.
15. The final selection list shall be prepared on the basis of the marks obtained in the Main Examination and the Viva-Voce Test both. In case of tie of marks between the candidates in the final selection list, their selection will be made firstly on the basis of qualification, i.e., person having Post Graduate Degree in Law shall be given preference and thereafter on the basis of experience, if any, in legal practice and still if necessary, on the basis of seniority in age.

कृ०पृ०प०

16. <u>सामान्य जानकारी:–</u>

(i) **परीक्षा शुल्क:–**

(क) सामान्य वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II के लिए– 500+50/–रू0 बैंक चार्ज, कुल–550/–रू0 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क के रूप में–250+50/–रू0 बैंक चार्ज, कुल–300/–रू0 चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के किसी भी शाखा पर जमा किया जा सकता है।

(ख) चालान आयोग के वेबसाईट–www.jpsc.gov.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है।

(ग) चालान की एक प्रति "jpsc's copy" आवेदन पत्र के साथ मूल रूप में निश्चित रूप में सलग्न करें तथा तीसरी प्रति "depositor's copy" अपने पास सुरक्षित रखे।

(ii) आवेदन पत्र निबंधित डाक द्वारा **"परीक्षा नियंत्रक" झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची–834001** के पते पर इस प्रकार भेजना सुनिश्चित करें कि **दिनांक–06.01.2014 को संध्या 5.00 बजे** तक अवश्य प्राप्त हो जाये। लिफाफा के ऊपर बड़े एवं स्पष्ट अक्षरों में **"Civil Judge (Junior Division) हेतु आवेदन"** अवश्य अंकित करें। भरा हुआ आवेदन निबंधित डाक से प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित हों लें कि आपने आवेदन पत्र के सभी कॉलम सही–सही भरा है तथा सभी शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों (जन्म तिथि प्रमाण पत्र सहित) जाति प्रमाण पत्र एवं अधिवक्ता के रूप में निबंधन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर संलग्न किया गया है **अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे** तथा बाद में किसी प्रकार के अनुरोध स्वीकार नहीं होंगे।

(iii) **आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात अनुमण्डल पदाधिकारी से न्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।** झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(iv) **झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी जाति के हों, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग–I/ पिछड़ा वर्ग–II के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी से न्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। झारखण्ड राज्य के गठन के बाद का निर्धारित विहित प्रपत्र–I अथवा प्रपत्र–II में निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छाया–प्रति राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित विहित प्रपत्र–I अथवा प्रपत्र–II आयोग के वेवसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।**

(v) खेल–कूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक 12.09.2007 द्वारा श्रेणी–II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा तथा एतदसंबंधी प्रमाण पत्र की छाया–प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगाः–

(a) अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी अथवा उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मेडल।

(b) भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान।

(c) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड।

(vi) **A4 साइज** में **सादे कागज** पर **टंकित/मुद्रित** कराकर विहित प्रपत्र में ही आवेदन–पत्र जमा करेंगे।

(vii) आवेदक अपना **पासपोर्ट साइज का नवीनतम अभिप्रमाणित छाया चित्र** (फोटो) आवेदन–पत्र में निर्धारित स्थान पर अवश्य चिपकायें। छायाचित्र के नीचे अपना पूर्ण हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

सचिव, 09/12/13

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची–834001

आवेदन–पत्र का विहित–प्रपत्र

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि : 06.01.2014 **विज्ञापन संख्या : 04/2013**

अभिप्रमाणित फोटो

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

हिन्दी में

अंग्रेजी में

1. परीक्षा का नाम : **झारखण्ड न्यायिक सेवा**

2. आवेदित पद का नाम : **सिविल जज जूनियर डिविजन**

3. (क) उम्मीदवार का नाम : –

देवनागरी लिपि में : ____________________

(ख) रोमन लिपि में (दो शब्दों के बीच एक बॉक्स खाली छोड़े) :

(ग) पिता का नाम : ____________________

(घ) माता का नाम : ____________________

(ड) जन्म तिथि : (अंकों में) ☐☐ दिन ☐☐ महीना ☐☐☐☐ वर्ष

(शब्दों में) ____________________

(च) दिनांक–31/01/2013 की नियत तिथि को उम्र– ☐☐ वर्ष ☐☐ महीना ☐☐ दिन

(छ) लिंग : स्त्री ☐ पुरूष ☐ (ज) वैवाहिक स्थिति ? विवाहित ☐ अविवाहित ☐ (झ) राष्ट्रीयता : ________

4. (क) कोटि : अनारक्षित ☐ अनु0जाति ☐ अनु0जनजाति ☐ पि0व0–I ☐ पि0व0–II ☐

(ख) अनुमण्डल पदाधिकारी से न्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(ग) क्या आप विकलांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करते/करतीं हैं ? (कार्मिक के पत्रांक 7281, दिनांक 07.11.2007 के अनुसार) हाँ ☐ नहीं ☐ यदि हॉ,

(i) प्राधिकृत चिकित्सा पर्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र सं0–.................................. निर्गत तिथि ....

(ii) विकलांगता का प्रकार – (a) मन्द दृष्टि (Low vision) ☐ (b) आंशिक बधिर (Low Hearing) ☐

(c) शारीरिक विकलांगता (Locomotor disability, except Cerebral Palsy) ☐

विशेषः– उपर्युक्त का लाभ उन्हीं मामलों में मान्य होगा जिसमें प्राधिकृत चिकित्सा पर्षद द्वारा उन्हें सहायक उपकरणों एवं आधुनिक तकनीक की सहायता से इस पद का उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए योग्य घोषित किया गया हो।

(घ) क्या आप खेलकूद कोटे से आरक्षण का दावा करते/करतीं हैं ? (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के ज्ञापांक –1709, दिनांक 12.09.2007 के अनुसार) हाँ ☐ नहीं ☐

यदि हॉ, निर्गत प्रमाण पत्र सं0–.................................. निर्गत तिथि ....

5. (क) स्थायी पताः–

पुरा नाम–..

मुहल्ला/ग्राम–..

....

पोस्ट–..................................थाना–..................................जिला..................................

राज्य–..................................पिन कोड ☐☐☐☐☐☐ ई–मेल पता ....

(ख) पत्राचार का पताः–

पुरा नाम–...

मुहल्ला / ग्राम–...

....

पोस्ट–..थाना–...जिला......................................

राज्य–..पिन कोड | | | | | | | ई–मेल पता ....

6. (क) शैक्षणिक योग्यता –

उत्तीर्ण परीक्षा	संस्थापन / बोर्ड / वि0वि0	उत्तीर्णता का वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत	डिविजन
मैट्रिक				
इन्टरमीडियट / + 2				
स्नातक				
विधि स्नातक				
विधि स्नातकोत्तर				

(ख) अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अर्न्तगत निबंधन का विवरण – (अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र संलग्न करें) –

निबंधन संख्या ______________________ **वर्ष** | | | | |

7. **उम्मीदवार का दो शारीरिक पहचान चिन्ह–** 1...

2...

8. **चालान से जमा किए परीक्षा शुल्क का विवरण (मूल चालान JPSC Copy आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)**

स्टेट बैंक शाखा का नाम	**चलान / जरनल संख्या**	शुल्क जमा करने की तिथि	**राशि**

9. **अनुलग्नक :** 1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

5. .... 6. ....

<u>घोषणा–पत्र</u>

1. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि नैतिक नीचता (Moral turpitude) से संबंधित किसी आपराधिक मामले में मैं संलिप्त नहीं हूँ या संबंधित नही हूँ।
2. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है इस आवेदन में दिए गए सभी विवरणी सही एवं सत्य है और मैं अर्हत्ताधारी हूँ।
3. मैंने आवेदन पत्र के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं एतद द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैं तदनुरूप निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण आदि से सम्बद्ध पात्रता की सभी शर्त्तों को पूरा करता / करती हूँ।
4. मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि मै इस बात से अवगत हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त दी गई किसी भी सूचना के गलत या असत्य पाये जाने पर मेरी अभ्यर्थितता रद्द हो जाएगी चाहे मेरा चयन परीक्षा के आधार पर क्यों न हो गया हो।

स्थान : ....

दिनांक : .... आवेदक का हस्ताक्षर

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र–I

....
(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण पत्र
(सभी कार्यों के लिए)

संख्या :–.................................   तिथि :–...................................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री.. निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला.. डाकघर..थाना......................................जिला...राज्य..................... ....अनुसूचित जाति */अनुसूचित जनजाति * श्रेणी के अन्तर्गत ....जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति */अनुसूचित जनजाति * के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी...एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा..शहर......................................जिला...राज्य........................... ....में निवास करते हैं।

स्थानः–

तिथिः–

उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम...
पदनाम..

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जन जाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

———————

प्रपत्र–II

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी–.. पुत्र/पुत्री..ग्राम/शहर.. थाना..जिला..झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली है, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछडा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त...समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक–10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93 –स्था0(एस.सी.टी.) दिनांक–08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं है।

स्थान :–
तिथिः–

उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम..
पदनाम..
(कार्यालय की मुहर)

(नोटः–जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ)
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक–05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक–24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008 एवं 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक–01.08.2011, 5826 दिनांक–19.09.2011, 697 दिनांक–26.09.2011, 6580 दिनांक–20.10.2011, 8060 दिनांक–17.12.2011 एवं 144 दिनांक–06.01.2012, 2855 दिनांक–27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची **Bank's Copy** भारतीय स्टेट बैंक
Jharkhand Public Service Commission, Ranchi
State Bank of India.
Branch Code ____________

JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

Civil Judge (Junior Division) Recruitment Exam-2013

Advertisement. No. –04/2013

SBI Branch Name: - ____________

SBI ACCOUNT NO.	3	3	0	8	2	7	6	4	3	0	8

SBI Branch Code: 12623

SBI JOURNAL NO. # / ____________

Day ☐☐ Month ☐☐ Year ☐☐☐☐

1. Name of Examination: - **Civil Judge (Junior Division) Recruitment Exam-2013** (Advertisement. No. –04/2013)
2. Name of the Candidate: - ____________
3. Tick Mark the Reservation Category: -
   UNR ☐ SC ☐ ST ☐ BC-I ☐ BC-II ☐
4. Fee :- (1) Examination Fee – Rs. ☐☐☐.00
   (2) Bank Charges – Rs. *50.00
   (3) Total – Rs. ☐☐☐.☐☐

Total Amount (In Word):- Rs ____________

Note: - All printout of filled application are to be submitted to JPSC, Ranchi by Speed Post/Registered Post only.

PM/SPM/Teller's Signature & Seal   Depositor's Signature

Note: - SBI BRANCHES TO CONTACT ON HELPLINE NO. 651-2561166, 9430730500, 9431587970 IN CASE ANY QUERY IN THIS REGARD.

Abbreviations used: - BC-I – Backward Class-I, BC-II – Backward Class-II, SC – Scheduled Caste, ST – Scheduled Tribe

\# Instruction for SBI Branches.
(i) Journal No. should be strictly mentioned at the appropriate place in challan.
(ii) "Advertisement No" should be fed into CB Screen under "Registration/Ref. No."
(iii) Name of candidate should be mentioned under Head "Name of the Candidate"

JPSC Website: - www.jpsc.gov.in ; Helpline : (0651) 221 3009

झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची **JPSC's Copy** भारतीय स्टेट बैंक
Jharkhand Public Service Commission, Ranchi
State Bank of India.
Branch Code ____________

JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION
Civil Judge (Junior Division) Recruitment Exam-2013
Advertisement. No. –04/2013
SBI Branch Name: - ____________
SBI ACCOUNT NO. 3 3 0 8 2 7 6 4 3 0 8
SBI Branch Code: 12623
SBI JOURNAL NO. # / ____________
Day ☐☐ Month ☐☐ Year ☐☐☐☐
1. Name of Examination: - Civil Judge (Junior Division) Recruitment Exam-2013 (Advertisement. No. –04/2013)
2. Name of the Candidate: - ____________
3. Tick Mark the Reservation Category: -
UNR ☐ SC ☐ ST ☐ BC-I ☐ BC-II ☐
4. Fee :- (1) Examination Fee – Rs. ☐ ☐.00
(2) Bank Charges – Rs. *50.00
(3) Total – Rs. ☐☐☐.☐☐
Total Amount (In Word):- Rs ____________
Note: - All printout of filled application are to be submitted to JPSC, Ranchi by Speed Post/Registered Post only.
PM/SPM/Teller's Signature & Seal   Depositor's Signature
Note: - SBI BRANCHES TO CONTACT ON HELPLINE NO. 651-2561166, 9430730500, 9431587970 IN CASE ANY QUERY IN THIS REGARD.
Abbreviations used: - BC-I – Backward Class-I, BC-II – Backward Class-II, SC – Scheduled Caste, ST – Scheduled Tribe
Instruction for SBI Branches.
(i) Journal No. should be strictly mentioned at the appropriate place in challan.
(ii) "Advertisement No" should be fed into CB Screen under "Registration/Ref. No."
(iii) Name of candidate should be mentioned under Head "Name of the Candidate"
JPSC Website: - www.jpsc.gov.in ; Helpline : (0651) 221 3009

झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची **Candidate's Copy** भारतीय स्टेट बैंक
Jharkhand Public Service Commission, Ranchi
State Bank of India.
Branch Code ____________

JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION
Civil Judge (Junior Division) Recruitment Exam-2013
Advertisement. No. –04/2013
SBI Branch Name: - ____________
SBI ACCOUNT NO. 3 3 0 8 2 7 6 4 3 0 8
SBI Branch Code: 12623
SBI JOURNAL NO. # / ____________
Day ☐☐ Month ☐☐ Year ☐☐☐☐
1. Name of Examination: - Civil Judge (Junior Division) Recruitment Exam-2013 (Advertisement. No. –04/2013)
2. Name of the Candidate: - ____________
3. Tick Mark the Reservation Category: -
UNR ☐ SC ☐ ST ☐ BC-I ☐ BC-II ☐
4. Fee :- (1) Examination Fee – Rs. ☐ ☐.00
(2) Bank Charges – Rs. *50.00
(3) Total – Rs. ☐☐☐.☐☐
Total Amount (In Word):- Rs ____________
Note: - All printout of filled application are to be submitted to JPSC, Ranchi by Speed Post/Registered Post only.
PM/SPM/Teller's Signature & Seal   Depositor's Signature
Note: - SBI BRANCHES TO CONTACT ON HELPLINE NO. 651-2561166, 9430730500, 9431587970 IN CASE ANY QUERY IN THIS REGARD.
Abbreviations used: - BC-I – Backward Class-I, BC-II – Backward Class-II, SC – Scheduled Caste, ST – Scheduled Tribe
Instruction for SBI Branches.
(i) Journal No. should be strictly mentioned at the appropriate place in challan.
(ii) "Advertisement No" should be fed into CB Screen under "Registration/Ref. No."
(iii) Name of candidate should be mentioned under Head "Name of the Candidate"
JPSC Website: - www.jpsc.gov.in ; Helpline : (0651) 221 3009